05

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 54 / 2023

दारा सिंह बनाम् राज्य एवं मुखलाल बेदिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
16/01/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी दारा सिंह, पिता–स्व० गोविन्द सिंह, निवास ग्राम–चिकोर, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–24 / 2019–20 / 131 / 2020–21 मुखलाल बेदिया बनाम दारा सिंह वगै० में दिनांक–27.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–चिकोर, थाना नं०–52 थाना–पतरातू के खाता नं०–40 प्लॉट सं०–984 कुल रकवा–0.48 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–चिकोर, थाना नं०–52 थाना–पतरातू के खाता नं०–40 प्लॉट सं०–984 कुल रकवा–0.48 ए० भूमि सर्वे खतियान में भुखला महतो कौम बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी केवाला से भूमि प्राप्ति का दावा करते हुए एवं विपक्षी खतियान रैयत होने के नाते दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि मौजा–चिकोर के खाता सं०–40 के खतियानी रैयत रामधन बेदिया, पिता–सहेबा बेदिया के द्वारा निबंधित केवाला सं०–2170, दिनांक–30.05.1946 से मौजा–चिकोर के खाता सं०–40 प्लॉट नं०–984 रकवा–48 डी० भूमि अपीलार्थी के पिता गोविन्द सिंह एवं उनके भाई बैजनाथ सिंह पिता–हरखु सिंह को उचित राशि लेकर बिक्री की गई। भूमि क्रय करने के पश्चात बैजनाथ सिंह एवं गोविन्द सिंह के नाम से पंजी–II के पेज नं०–40 / 136 पर जमाबंदी कायम की गई जो पंजी–II के पेज नं०–94 / I से लाई गई है। उन्होनें आगे कहा है कि 1946 में जब भूमि क्रय की गई है उस उक्त बेदिया जाति अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में नहीं आते थे। वास्तविक में बेदिया वर्ष 1950 में अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आये। इस प्रकार अपीलार्थी का भूमि पर 75 वर्षो से दखल कब्जा है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़	

द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–24 / 2019–20 / 131 / 2020–21 में दिनांक–27.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम–चिकोर के खाता नं०–40 सर्वे खतियान में भुखना महतो वो डोमन महतो पेशरान सुखराम महतो एक हिस्सा ब हिस्सा बराबर वो रामधन महतो वल्द सहवा महतो कौम बेदिया शाकिन देह दर्ज है। खाता नं०–40 का जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं०–93 / I में बाजो महतो के नाम से चल रहा है। उतरवादी खाता नं०–40 के खतियानी रैयत के वंशज है। विशेष जाँच दल (SIT) एवं अंचल अधिकारी, पतरातू के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में न्यायालय द्वारा ग्राम–चिकोर के खाता सं०–40 प्लॉट नं०–984 रकवा–48 डी० भूमि पर भू–वापसी की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि गैर आदिवासी रैयत प्रश्नगत भूमि से आदिवासी रैयत को भू–वापसी का आवेदन देने के 8–10 वर्षो से बेदखल कर दिया है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–24 / 2019–20 / 131 / 2020–21 में आदेश सम्पूर्ण तथ्यों एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(4)ए के प्रावधान के अनुसार पारित किया गया है, जो विधि एवं तथ्य के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी के आधार पर दावा करते है, परन्तु उतरवादी एवं उनके पूर्वज के द्वारा प्रश्नगत भूमि को कभी भी बिक्री नहीं किये है। अपीलार्थी के अपने आवेदन के पारा 4 में यह कहना कि 1946 में बेदिया आदिवासी नहीं थे, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(4)ए का उल्लंघन नहीं है गलत है। बेदिया जाति 1908 से पूर्व से ही आदिवासी के श्रेणी में है। इस बात उल्लेख है कि जे० डी० सिफटन के सर्वे रिर्पोट 1908–1915 (हजारीबाग) के अध्याय II जनसंख्या के कंडिका 30 में हजारीबाग में पाये जाने वाले आदिवासी और अर्ध आदिवासी में बेदिया, भोगता भुईया, बिरहोर, धटवाल, करमाली कुरमी, मुण्डा, उराँव रजवार और संथाल को बताये है, इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि बेदिया 1908 से पूर्व से ही आदिवासी की श्रेणी में है। आदिवासी की भूमि 1946 में भी खरीद बिक्री के लिए उपायुक्त का परमिशन लेना आवश्यक था, उपायुक्त के परमिशन के बैगर रजिस्ट्री अवैध है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–24 / 2019–20 / 131 / 2020–21 में दिनांक–27.04.2023 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–चिकोर के खाता संख्या–40 प्लॉट नं०–984रकवा–0.48 ए० भूमि सर्वे खतियान में भुखला महतो वगै० कौम बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ सं०–93 / I पर बाजो महतो पिता–भुखन महतो के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि का वर्त्तमान स्वरूप अपीलार्थी का मकान एवं बारी है।

बेदखली की अवधि 08–10 वर्ष है। उन्होनें भू–वापसी की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से गैर आदिवासी को किस परिस्थिति में किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा नियमसंगत है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–चिकोर, थाना नं०–52 थाना–पतरातू के खाता नं०–40 प्लॉट सं०–984 कुल रकवा–0.48 ए० भूमि सर्वे खतियान में भुखला महतो वगै० कौम बेदिया के नाम से दर्ज है एवं जमाबंदी भी पंजी–II के पृष्ठ सं०–93/I पर बाजो महतो पिता–भुखन महतो के नाम से कायम है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट करने में विफल है कि किस परिस्थिति में आदिवासी खाते की भूमि हस्तांतरण गैर आदिवासी को किया गया एवं यह हस्तांतरण किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से हुआ। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें 1946 में प्राप्त है एवं 75 वर्षो दखल कब्जा है। जबकि अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन के अनुसार बेदखली की अवधि 8–10 वर्ष ही है। इससे विरोधाभाष उत्पन्न होता है। इसलिए उक्त वाद में उपरोक्त बिन्दु पर पुनः जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–24/2019–20/131/2020–21 मुखलाल बेदिया बनाम दारा सिंह वगै० में दिनांक–27.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद मे पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर पुनः सुनवाई कर Fresh आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 16/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 16/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.03.11 16:57:54 +05:30
Location: 192.168.169.197